



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229917
CG-DL-E-24092021-229917

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]
No. 540]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2021/ आश्विन 2, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2021/ASVINA 2, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 656(अ).—केंद्रीय सरकार, द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ विस्तृत रूप में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 47 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2020 की अनुपालना के लिए समय सीमा में छूट के लिए विभिन्न पणधारियों से प्राप्त हुए आक्षेप और सुझावों तथा कोविड-19 (प्राकृतिक आपदा) के समाघात के कारण उद्योग द्वारा की जाने वाली कठिनाइयों को विचार में लेते हुए, मामले की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 1 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

सारणी

क्र.सं.	उद्योग	मानदंड	मानक (निपटान की सभी प्रणालियों पर लागू)
1	2	3	4
57	चर्मशोधनशालाएं	चर्मशोधनशाला उद्योग से बहिस्त्राव के निस्सारण के लिए मानदंड	
		शोधित बहिस्त्राव	अधिकतम अनुज्ञेय सीमा (पीएच के सिवाय मि.ग्रा./ली. में)
		पीएच	6 से 9
		बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (27 ⁰ सेल्सियस पर बीओडी 3)	20
		केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी)	250
		कुल निलंबित ठोस(टीएसएस)	50
		कुल विघटित ठोस (टीडीएस)	2100**
		सल्फाइड (एस के रूप में)	2.0
		कुल क्रोमियम (सीआर के रूप में)	2.0
		हैक्जावैलेंट क्रोमियम(सीआर+6के रूप में)	0.1
		तेल और चिकनाई	10
		<p>टिप्पणः</p> <p>1. * नदियों और झीलों में सीधे निपटान के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (एसपीसीबी/पीसीसी), निपटान प्रणाली की गुणवत्ता के आधार पर अधिक कड़े मानकों को निर्दिष्ट कर सकेंगे।</p> <p>2. ** टीडीएस के लिए मानक, उचित समुद्री मुहाने के माध्यम से समुद्री निपटान के मामले में लागू नहीं होंगे।</p> <p>3. शोधित बहिस्त्राव के संबंध में टीडीएस सीमा 2100 मि.ग्रा. प्रति लीटर होगी; तथापि, ऐसे मामले में जहां लिए गए जल में टीडीएस 1100 मि.ग्रा. प्रति लीटर से अधिक है, वहां 1000 मि.ग्रा. प्रति लीटर तक का अधिकतम अंश अनुज्ञात होगा, परन्तु शोधित बहिस्त्राव में 3100 मि.ग्रा. प्रति लीटर की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।</p> <p>4. मानक सभी प्रकार के एकमात्र रूप से विद्यमान चर्मशोधनशालाओं पर उनके उत्पादन के पैमाने के बावजूद समान रूप से लागू होंगे।</p> <p>5. क्रोम चर्मशोधन इकाईयां, क्रोमियम सल्फेट को वापस प्राप्ति हेतु क्रोम मद्य के शोधन हेतु 'क्रोम रिकवरी संयंत्र' की स्थापना सुनिश्चित करेंगी।</p> <p>6. चर्मशोधनशाला, मद्य पृथक्करण को सोखने के माध्यम से नमक की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।</p> <p>7. शोधित बहिस्त्राव को ताजा जल के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया/सिंचाई में पुनः उपयोग के लिए केवल व्यवहार्य विकल्पों के पश्चात ही परिवेशी पर्यावरण में निस्सारण होने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>8. एकमात्र रूप से विद्यमान इकाईयां विहित निस्सारण मानदंडों को पूरा करेंगी; तथापि, राज्य</p>	

		<p>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति जल की कमी वाले/पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील/महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोधित जल के पुनःचक्रण/पुनःउपयोग को अनिवार्य करेंगी।</p> <p>9. भूमि पर सिंचाई के लिए शोधित बहिष्काव के निस्सारण के मामले में चर्मशोधनशाला इकाई द्वारा वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और पश्चात में) भूमि और भूजल की गुणवत्ता पर प्रभाव की निगरानी की जाएगी।</p> <p>10. गाद और अन्य अपशिष्टों का प्रबंधन, निगरानी और निपटान, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में किए गए उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>11. इकाईयां “अपशिष्ट के संसाधन और शोधन प्रक्रिया के पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम प्रबंधन के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों” पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा विहित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी।</p>
		चर्म/खालों के प्रसंस्करण के लिए जल खपत की अधिकतम विनिर्दिष्ट मात्रा (मासिक औसत मूल्य)
	कच्चे से नम नीला/श्वेत	कच्चे चर्म/खालों का 20 मी ³ प्रति टन
	चर्मशोधन के पश्चात की प्रक्रिया	कच्चे चर्म/खालों का 20 मी ³ प्रति टन
	कुल खपत	कच्चे चर्म/खालों का 35 मी ³ प्रति टन
		अधिकतम अपशिष्ट जल निस्सारण=अधिकतम जल खपत का 85 %
		<p>नम-नीला/श्वेत और चर्म में तैयार चमड़े की पुनःगणना करने के कारक:</p> <p>जूते का ऊपरी चमड़ा:</p> <p>कच्चे चर्म/खालों का 15 टन=नम-नीले का 7.84 टन=तैयार चमड़े का 2.94 टन</p> <p>साज-सामग्री संबंधी चमड़ा:</p> <p>कच्चे चर्म/खालों का 15 टन =नम-नीले का 5.08 टन =तैयार चमड़े का 1.48 टन।”।</p>

[फा.सं. क्यू-15017/44/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 541(अ), तारीख 08 अगस्त, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

G.S.R. 656(E).—Whereas, considering the difficulties faced by the industry due to COVID-19 (Force Majeure) impact and objections and suggestions received from various stakeholders for relaxation of timelines for compliance of the notification GSR 47(E) dated 24th January 2020 the matter was examined in detail by the Central Government in consultation with Central Pollution Control Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of July 2022.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-1, for serial number 57 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Industry	Parameter	Standards (applicable for all modes of disposal*)
1	2	3	4
“57	Tanneries	Standards for Discharge of Effluent from Tannery Industry	
		Treated Effluent	Max. permissible values (in mg/l, except for pH)
		pH	6 to 9
		Biochemical Oxygen Demand (BOD ₃ at 27 °C)	20
		Chemical Oxygen Demand (COD)	250
		Total Suspended Solids (TSS)	50
		Total Dissolved Solids (TDS)	2100**
		Sulphides (as S)	2.0
		Total Chromium (as Cr)	2.0
		Hexavalent Chromium (as Cr ⁺⁶)	0.1
		Oils and Grease	10
<p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> *In case of direct disposal into rivers and lakes, the Central Pollution Control Board (CPCB) or State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees (SPCBs / PCCs) may specify more stringent standards depending upon the quality of the recipient system. **Standards for TDS shall not be applicable in case of marine disposal through proper marine outfall. **TDS limit with respect to treated effluent shall be 2100 mg/l; however, in case where TDS in intake water is above 1100 mg/l, a maximum contribution up to 1000 mg/l shall be permitted provided the maximum limit of 3100 mg/l is not exceeded in the treated effluent. Standards are equally applicable to all types of stand-alone tanneries irrespective of their scale of production. Chrome tanning units shall ensure installation of ‘Chrome Recovery Plant’ for treatment of spent chrome liquor so as to recover chromium sulphate. The tannery shall ensure salt recovery through soak liquor segregation. The treated effluent shall be allowed to be discharged in the ambient environment only after exhausting options for reuse in industrial process / irrigation in order to minimize freshwater usage. The standalone units shall meet prescribed discharge norms; however, SPCB / PCC shall mandate recycle / reuse of the treated water in water scarce / environmentally sensitive / critical areas. In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and groundwater quality shall be monitored twice a year (pre- and post- monsoon) by the tannery unit. 			

	<p>10. Management, handling and disposal of Sludge and other wastes shall be undertaken as per the provisions made in the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016.</p> <p>11. The units shall follow the guidelines prescribed by CPCB and SPCB / PCC on “Best Available Technologies for Environmentally Sound Management of the Process and Treatment of Wastes”.</p>
	Maximum specific water consumption for processing hides/ skins: (monthly average values)
Raw-to-Wet blue/white	20 m ³ per ton of hides /skins
Post-tanning process	20 m ³ per ton of hides /skins
Raw-to-finished	40 m ³ per ton of hides /skins
	Maximum wastewater discharge = 85% of maximum water consumption.
	Factors to re-calculate Finished leather into Wet blue/white and Hide:
	Shoe upper leather:
	15 ton of Raw hides /skins = 7.84 ton of Wet blue = 2.94 ton of finished leather
	Upholstery leather:
	15 ton of Raw hides/skins = 5.08 ton of Wet blue = 1.48 ton of finished leather.”.

[F. No. Q-15017/44/2007-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 541(E), dated the 8th August, 2021.